उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-73/2021/एस-2-।/127428/दस-2021-23/2021पार्ट-।

लखनऊ :: दिनॉक:: 30 दिसम्बर, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-'क' विशेष वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स रू0-1,23,100 से 2,15,900 (लेवल-13) में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित अधिकारियों को विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर, सम्यक विचारोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उच्च वेतनमान, वेतन मैट्रिक्स रू0-1,31,100 से 2,16,600, (लेवल-13क) में नियमित रूप से पदोन्नत करने एवं उनके वर्तमान पदों पर अंकित पद/स्थान पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती का स्थान
1	2
1	श्री कमलेन्द्र कुमार, वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2	श्री रमेश चन्द्र वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर ।

2- उक्त पदोन्नति के आदेश मा0 न्यायालयों/मा0 अधिकरणों के समक्ष प्रचलित रिट याचिकाओं/निर्देश याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होंगे।

3- उक्त नवपदोन्नत अधिकारी पदोन्नति के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे। इनकी तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

एस0 राधा चौहान

अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-73/2021/एस-2-।/127428(1)/दस-2021, तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यटन एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।

3- निदेशक पर्यटन निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ

4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर ।

5- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

7- मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी लखनऊ/कानपुर।

8- संबंधित अधिकारीगण ।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सजीवन)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।